



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शालिया)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 332/25 दायर दिनांक 27.9.2025 निर्णय दिनांक 28/9/25

कपासन

क्र.सं..	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	शालिया	388	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुलाबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज.भू.सा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शालिया</u> प.ह. <u>सिमरिया</u> खातासं <u>388</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ बीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
		हस्ताक्षर कलक्टर	हस्ताक्षर सिपाय	हस्ताक्षर व मोहर तहसिलीदार
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

प्रतिलिपि पालनाथ:-

तहसिलीदार(भू.अ.) कपासन

1. पटवारी पटवार मण्डल शालिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसिलीदार कपासन  
तहसिलीदार(भू.अ.) कपासन